



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267982  
CG-DL-E-26112025-267982

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5260]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947

No. 5260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5441(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "ओडिशा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण" (पैन: AAAGO0648F) "इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जोकि "रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) के तहत गठित एक प्राधिकरण है" को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ "रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं.164 /2025 फा. सं. 300195/69/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।